राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	1153 / 2021 घासीराम	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. आयुक्त, पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।	09.02.2021	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
2.	1154 / 2021 जगदीश प्रसाद सैनी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला परिषद, सीकर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीकर।		
3.	1155 / 2021 नवीन कुमार			
4.	1156 / 2021 सुनील कुमार			
5.	1157 / 2021 रतिराम			
6.	1158 / 2021 राधेश्याम वर्मा			
7.	1159 / 2021 विजय रतन सैन			
8.	1160 / 2021 प्रभुनारायण गुर्जर	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।		
9.	1162 / 2021 लक्ष्मण जाट			
10.	1163 / 2021 विनोद कुमार वशिष्ठ			
11.	1164 / 2021 हनुमान लाल चौधरी			
12.	1165 / 2021 मुरारीलाल नाई			
13.	1166 / 2021 विश्राम गुर्जर			
14.	1167 / 2021 सुरेन्द्र कुमावत			
15.	1168 / 2021 भगवान सिंह	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला परिषद, भरतपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर।		
16.	1169 / 2021 रामफूल चौधरी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।		
17.	1170 / 2021 भरत सिंह	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला परिषद, भरतपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर।		
18.	1171 / 2021 भोलूराम	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।		
19.	1172 / 2021 महेश शर्मा			
20.	1173 / 2021 विष्णु चौधरी			
21.	1174 / 2021 रामबाबु चौधरी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।		
22.	1175 / 2021 देवानन्द जाट			
23.	1176 / 2021 राम नारायण जाट			

24.	1177/2021 नारायण लाल	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।	09.02.2021	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
25.	1178/2021 बाबुलाल सैन			
26.	1179/2021 नत्थूलाल शर्मा			
27.	2627/2021 कप्तान सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. आयुक्त, पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. जिला परिषद, भरतपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर। 5. ग्राम पंचायत, Itamada Varoli, पंचायत समिति, वैर, जिला भरतपुर जरिये सचिव।	02.08.2021	
28.	2628/2021 मनोहर लाल शर्मा	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 4. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 5. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।		
29.	2629/2021 उदय सिंह	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. जिला परिषद, भरतपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर। 5. ग्राम पंचायत, Madarpur, पंचायत समिति, सेवर जरिये सचिव, जिला भरतपुर।	03.08.2021	
30.	2630/2021 भागचंद बंशीवाल	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 3. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।		
31.	2631/2021 करतार सिंह	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. जिला परिषद, भरतपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर। 5. ग्राम पंचायत, लखनपुर, पंचायत समिति वैर जिला भरतपुर जरिये सचिव।	03.08.2021	
32.	2632/2021 रमेश चंद	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 5. ग्राम पंचायत, Jagjivanpur पंचायत समिति वैर जिला भरतपुर जरिये सचिव।	03.08.2021	

आदेश की दिनांक : 13.10.2023

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1153/2021 घासीराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त

मुख्य शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को समायोजन/नियमित मानते हुए पम्प चालक का नियमित वेतनमान दिए जाने के आदेश फरमाए जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्ष 1999 में पम्प चालक के पद पर नियुक्त किया गया था और वह ग्राम पंचायत में केवल न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर रहा है। जबकि अपीलार्थी पम्प चालक के पद पर नियमित नियुक्ति के योग्य है और अपीलार्थी प्रारंभ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्य कर रहा था और बाद में अपीलार्थी की सेवाएं पंचायत राज विभाग को संबंधित ग्राम पंचायत में सुपुर्द कर दी गई और तब से अपीलार्थी वर्ष 2010 से पंचायत में कार्य कर रहा है। उनका कथन है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पम्प चालक के पद की विज्ञप्ति जारी की गई थी, परंतु न तो आयु में छूट दी गई और न ही बोनस अंक का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिक जनता जल योजना स्कीम के तहत कार्यरत थे और प्रदेश जनता जल श्रमिक यूनियन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई तथा उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1053/2013 दायर की गई, जिसके क्रम में दिनांक 31.10.2014 को आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया गया कि यदि प्रार्थीगण योग्यता एवं अनुभव पूर्ण रखते हैं तो उनके अभ्यर्थिता पर विचार किया जावे। विभाग द्वारा योग्य कार्मिकों की सूची तैयार की गई जो आज तक लंबित है और मामला केबिनेट के विचाराधीन है। श्री प्रहलाद राय ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उक्त संबंध में सूचना मांगी जो विभाग द्वारा दिनांक 30.09.2020 को सूचना दी है कि उक्त मामला अनुभव का लाभ एवं बोनस अंक दिए जाने के संबंध में विचाराधीन है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक कोई उक्त मामले के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अपीलार्थी को नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया। उनका कथन है कि माननीय शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य वाले मामले के आधार पर अपीलार्थी न्यूनतम वेतनमान पम्प चालक संवर्ग में प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के विद्वान्

अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य (2017) 1 एससीसी 148 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 जिसमें कार्य की योग्यता के आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन आधारित अस्थाई कार्मिक को स्वीकृत पद के विरूद्ध समान सेवाएं देने के संबंध में न्यूनतम नियमित वेतनमान दिए जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इस प्रकार अपीलार्थी भी न्यूनतम नियमित वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को इस प्रकार का कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को समायोजन/नियमित मानते हुए पम्प चालक का नियमित वेतनमान दिए जाने के आदेश फरमाए जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जबाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी न तो राज्य कर्मचारी है और न ही किसी राजकीय सेवा में किसी भी पद पर कार्यरत एवं पदस्थापित नहीं है और राजस्थान सेवा नियमों से कोई संबंध नहीं है। ग्राम पंचायत, स्वायत्त शासन संस्था उसके द्वारा किसी व्यक्ति को मजदूरी पर आहूत किए जाने से उत्पन्न विवाद अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अपीलार्थी राजस्थान सेवा नियमों के तहत न तो चयन किया गया है और न ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण पम्प चालक के पद पर नियुक्त किए गए थे और वे ग्राम पंचायत में केवल न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। जबकि अपीलार्थीगण पम्प चालक के पद पर नियमित नियुक्ति के योग्य हैं और अपीलार्थीगण प्रारंभ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्य कर रहे थे और बाद में उनकी सेवाएं पंचायत राज विभाग को संबंधित ग्राम पंचायत में सुपुर्द कर दी गई और तब से अपीलार्थीगण पंचायत में कार्य कर रहे हैं। जहां तक अपीलार्थीगण को नियमित न्यूनतम

वेतनमान नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थीगण के इस तर्क से सहमत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य (2017) 1 एससीसी 148 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 जिसमें कार्य की योग्यता के आधार पर समान कार्य के लिए समान वेतन आधारित अस्थाई कार्मिक को स्वीकृत पद के विरूद्ध समान सेवाएं देने के संबंध में न्यूनतम नियमित वेतनमान दिए जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण के उक्त मामले के संबंध में यह आदेश देना हम समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 को इस आदेश के जारी होने की तिथी से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1153/2021 घासीराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य